कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती रचना तिवारी (RACHANA TIWARI), प्रधानाचार्य, GOVT SEN.SEC.SCH. MUHANA, JAIPUR का स्थानान्तरण GOVT. HR.SEC. SCHOOL CHITAMBA, BHILWARA किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती रचना तिवाडी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 19883/2019 रचना तिवारी बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 19883/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2019 द्वारा याचिकार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करने एवं प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उस पर विचार करते हुए विभागीय दिशा–निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना समायोजन राउमावि हसनपुरा/राउमावि खोनागौरियन/राबाउमावि कानोता, जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। याचिकार्थी श्रीमती रचना तिवारी विगत 5 वर्षों से जयपुर जिले मे ही पदस्थापित हैं। इतने लम्बे समय तक जयपुर जिले में पदस्थापित रहने के उपरान्त भी अन्यत्र पदस्थापित किये जाने पर जयपुर में ही पुनः पदस्थापित किये जाने की उनकी मांग उचित नहीं है। याचिकार्थी को प्रशासनिक आवश्यकता में योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए स्थानान्तरित किया गया है। याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त तथ्यो, एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती रचना तिवारी (RACHANA TIWARI), प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। श्रीमती रचना तिवारी को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान GOVT. HR.SEC. SCHOOL CHITAMBA, BHILWARA में प्रधानाचार्य के पर पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एस.बी.सि.या./19883/रचना तिवारी/357/201 दिनांक[illegible].02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सम्बन्धित, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. सम्बन्धित, जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्य।

11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)